विभागों के गठन एवं पाठ्यक्रम संचालन की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में शासन को विश्वविद्यालय में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों के सृजन का प्रस्ताव दिनांक 13–06–2018 को भेजा जा चुका है, परन्तु शासन से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस सन्दर्भ में विद्यापरिषद द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अग्रिम कार्यवाही/निर्णय हेतु अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्या–3

विश्वविद्यालय में शोध कार्य/पी0एच0डी0 प्रारम्भ किये जाने तथा शासन के निर्देशानुसार अध्यादेश को लागू करने पर विचार।

निर्णय–

विद्यापरिषद ने विश्वविद्यालय में शोध कार्य/पी0एच0डी0 प्रारम्भ किये जाने तथा शासन के पत्र संख्या–266/सत्तर–1–2018–16(74)/2011 दिनांक 24–08–2018 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों में एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम0फिल0/पीएच0डी0 उपाधि के लिये न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2016 को यथावत् लागू किये जाने पर सर्वसम्मति से विचार–विमर्श के उपरान्त सहमति प्रदान की गयी। उपरोक्त के क्रम में विश्वविद्यालय का पी0एच–डी0 अध्यादेश सर्वसम्मति से पारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विद्यापरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2018–19 में शोध कार्य/पी0एच–डी0 की कुल सीटों में 50 प्रतिशत सीट पर **प्रवेश–परीक्षा** कराकर, प्रवेश लिये जाने पर सहमति प्रदान की। साथ ही **प्रवेश–परीक्षा** में **90 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा (50 प्रतिशत शोध पद्धति तथा 50 प्रतिशत विभागीय विषय के प्रश्न) होंगे** हेतु तथा **10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार** हेतु निर्धारित किये गये। किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम दो विषय में ही (अन्तः विषय सहित inter displinary) प्रवेश परीक्षा में सम्मलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रवेश परीक्षा में साक्षात्कार सहित 50 प्रतिशत अंक अर्ह अंक होंगे। प्रवेश व प्रवेश परीक्षा में शासनादेश के अनुसार आरक्षण लागू किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

विश्वविद्यालय में जिन स्थायी शिक्षकों का सेवाकाल 05 वर्ष पूर्ण हो चुका है। वे भी निर्धारित मानकों व नियमानुसार शोध कार्य/पी0एच–डी0 करने के लिए अर्ह